कं 200-आ०व०/2016
2.2.16

संख्या :37/2016/207/आठ-1-16-27विविध/14

प्रेषक,

पनधारी यादव
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़-पिलखुआ,
बुलन्दशहर, खुर्जा, बागपत-खेकड़ा तथा
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी, 2016

विषय : वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-18(1)बी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-18(1)बी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-ए-18011/41/2000 (पार्ट-2)-एमओएन दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 के क्रम में निर्धारित किये गये विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के क्रम में केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं के अन्तर्गत बिन्दु-ए(15), बी(6) व ई(1) (2) और (3) के संबंध में समयबद्ध ढंग से कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः उपर्युक्त के संदर्भ में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41(1) के अन्तर्गत एन०सी०आर० क्षेत्र में कार्यरत विकास प्राधिकरण तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी :-

1 **बिन्दु-ए (15) :** Undertake road widening and improvement of infrastructure for decongestion of raod:

उक्त कार्यवाही के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित समस्त विकास प्राधिकरण एवं उक्त क्षेत्र में कार्यरत आवास एवं विकास परिषद अपनी विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत स्थित सड़को की चौड़ाई में आवश्यकतानुसार इस प्रकार बढ़ोत्तरी करें, जिससे वाहनों के संचालन में जाम लगने की समस्या से छुटकारा पाया जा सके ।

2 **बिन्दु-बी (6) :** Take steps for blacktopping/pavement of road shoulders to avoid road dust:

वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण की दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित समस्त विकास प्राधिकरण एवं उक्त क्षेत्र में कार्यरत आवास एवं विकास परिषद अपनी विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की चौड़ाई में कच्चे रह गये हिस्सों के अधिकतम भाग पर ब्लैक टापिंग/पेबमेंट का निर्माण इस प्रकार करें कि वाहनों के परिचलन से धूल न हो ।

3 बिन्दु-ई (1), (2), (3) : Control of Air Pollution from Construction and Demolition Activities:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिसूचित विकास क्षेत्र एवं आवास एवं विकास परिषद हेतु अधिसूचित क्षेत्रों में भवन निर्माण एवं भवन धराशायन की कार्यवाही से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु संबंधित अभिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुज्ञा के अन्तर्गत यह प्रतिबन्ध अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे कि निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जाय एवं डस्ट सस्पेंशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायेा इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों का ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये ।

कृपया उपर्युक्त कार्यवाही हेतु अपने स्तर पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए शासन को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

पनधारी यादव
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संबंधित समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
4. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

कृपा शंकर शुक्ल
उप सचिव।